उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—1

संख्या 15/50/86-कार्मिक -1/1986
लखनऊ, 27 अक्टूबर, 1986

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता-सूची नियमावली, 1986

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता-सूची नियमावली, 1986 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के भीतर के पदों को छोड़कर राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन पदों पर लागू होगी।

अधिभावी प्रभाव

2—किन्हीं अन्य नियमों पर या आदेशों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यह नियमावली प्रभावी होगी।

परिभाषा

3—जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो—

(एक) किसी सेवा या पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य उस सेवा में या पद के सम्बन्ध में नियुक्त करने के लिये प्राधिकृत प्राधिकारी से है, और राज्यपाल के नियुक्ति प्राधिकारी होने की स्थिति में, इसके अन्तर्गत सरकार के मुख्य सचिव या सरकार के सम्बद्ध विभाग के सचिव या विशेष सचिव भी हैं;

(दो) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

पात्रता-सूची तैयार करना जहां मानदण्ड योग्यता हो

4—जहां पदोन्नति के लिये मानदण्ड योग्यता हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम अभ्यर्थियों की एक पात्रता-सूची तैयार करेगा, जिसमें नाम, यथासम्भव रिक्तियों की संख्या के तीन गुना, किन्तु कम से कम आठ, रखे जायेंगे :

परन्तु यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिये, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जानी हो, तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बध में पृथक-पृथक पात्रता-सूची तैयार की जायेगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिये पात्रता-सूची तैयार करते समय, पात्रता-सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी—

(1) द्वितीय वर्ष के लिए—उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग।

(2) तृतीय वर्ष के लिए—उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग और इसी प्रकार आगे भी :

परन्तु यह और कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्ट्या, पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के लिए नहीं की जायेगी और उनके नाम के सामने उनके सम्बन्ध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायेगी।

पात्रता-सूची तैयार करना जहां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता मानदण्ड हो

5—(1) जहां पदोन्नति का मानदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक श्रेणी अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन सूचियां उक्त श्रेणी के लिये उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम अभ्यर्थियों की पात्रता-सूची कही जायेगी, जिसमें, यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे :—

1 से 5 रिक्तियों के लिये—रिक्तियों की संख्या का दुगुना, किन्तु कम से कम 5।

5 से अधिक रिक्तियों के लिये— रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10।

(2) नियम—4 के परन्तुक में दिये गये उपबन्ध इस नियम के अधीन पात्रता-सूची तैयार करने में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

आज्ञा से,
हरीश चन्द्र गुप्त,
विशेष सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 15/50/86-Karmik-1-1986, dated October 27, 1986:

No. 15/50/86-Karmik-1-1986

Dated Lucknow, October 27, 1986

IN exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

THE UTTAR PRADESH PROMOTION BY SELECTION (ON POSTS OUTSIDE THE PURVIEW OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION) ELIGIBILITY LIST RULES, 1986

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986.

(2) They shall come into force atonce.

(3) They shall apply to posts under rule making power of the Governor except the posts which are within the purview of Public Service Commission.

Overriding effect

2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

Definition

3. Unless there is anything repugnant in the subject or context—

(i) "appointing authority" in relation to any service or post means the authority empowered to make appointments to that service or post and in the case of the Governor being the appointing authority, includes the Chief Secretary to Government or the Secretary, Special Secretary to Government in the department concerned.

(ii) "year of recruitment" means the period of twelve months beginning form the first day of July of a calendar year.

Preparation of elegibility list where the criterion is merit.

4. Where the criterion for promotion is merit, the appointing authority shall prepare a list of the senior most candidates containing names as far as possible, three times the number of vacancies subject to the minimum of eight:

provided that, if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibilty list for second and subsequent years of recuritment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be as follows:—

(1) for the second year —The number according to the said proportion *plus* the number of vacancies in the first year;

(2) for the third year —The number according to the said proportion *plus* the number of vacancies in first and second year; and so on:

Provided further that candidates who are not considered suitable, *prima facie*, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names.

Preparation of eligibility list where the criterion is seniority subject to the rejection of unfit

5. (1) Where the criterion for promotion is seniority subject to the rejection of unfit the appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists, of the seniormost eligible candidates from each of the category namely, General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said category containing names, so far as may be, in the following proportion :—

For 1 to 5 vacancies — 2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5.

For over 5 vacancies — $1\frac{1}{2}$ times the number of vacancies subject to a minimum of 10.

(2) The provisions contained in proviso to rule 4 shall, *mutatis mutandis*, apply if preparing an eligibility list under this rule.

By order,
HARISH CHANDRA GUPTA,
Special Secretary.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 22 सा० नियुक्ति–6-2-2003—(2279)—2003—2000 (कम्प्यूटर/आफसेट) ।